श्रीयुत शिव ओम स्टोन क्रशर मालिक श्री हरभजन सिंह, गांव किशनपुरा, डाकघर किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा खसरा नं0 2619, 2579. 2204/1 मौजा और मोहाल किशनपुरा तहसील बददी हिमाचल प्रदेश (सरकारी जमीन) और खनन क्षेत्र 500 बीघा 42–14–65 हैक्टेयर में खनन क्षेत्र पर रेत, पत्थर और बज़री के निष्कर्षण/संग्रह **(extraction/collection)** (लघू खनिजों के खनन)/ 225203 टी पी ए के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई दिनांक 06–09–2023 को 11 बजे प्रातः के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, आमंत्रित के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के बारे में ।

आयोजन संबम्धी कार्यवाही का विवरण

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 06–09–2023 को 11 बजे प्रातः गांव गांव किशनपुरा, डाकघर किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में श्रीयुत शिव ओम स्टोन क्रशर मालिक श्री हरभजन सिंह, गांव किशनपुरा, डाकघर किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा खसरा नं0 2619, 2579. 2204/1 मौजा और मोहाल किशनपुरा तहसील बददी हिमाचल प्रदेश (सरकारी जमीन) और खनन क्षेत्र 500 बीघा 42–14–65 हैक्टेयर में खनन क्षेत्र पर रेत, पत्थर और बज़री के निष्कर्षण/संग्रह (extraction/collection) (लघू खनिजों के खनन)/ 225203 टी पी ए के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0.–एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्री अजय कुमार यादव, भ0प्र0से0 अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–I पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय

खनन अधिकारी जिला सोलन के प्रतिनिधि व पंचायत प्रधान एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं गांव पचायतों के निवासी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रंण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक एवं मुख्य पर्यावरण अभियंता द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच पूछ सकते हैं। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

स्टोन कशर कें पर्यावरण सलाहकार द्वारा गतिविधियों के तकनीकी विवरण के बारें में विस्तृत जानकारी दी। पर्यावरण सलाहकार ने लीज अवधि के दौरान अपनाए जाने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों ओर विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात् अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच पूछ सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन ने लोगों को अवगत कराया कि यह जन सुनवाई का एक मंच है और सलाहकार के अनुसार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू–जल पुनर्भरण और कुछ भी जोडने का अवसर दिया जाता है और यदि आप प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं तो अपने विचार व्यक्त करें। ताकि कियान्वयन के दौरान कोई नकारात्मक प्रभाव न पडे।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई। इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री दया राम, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन हि0प्र0।	हम इस क्शर को चलाने के पक्ष में हैं तथा सहमत हैं, सरकार के निर्देशों के अनुरुप काम किया जाये तो अच्छा है। सरकार को रेवन्यू भी आयेगा। लोगों को नौकरी भी मिलेगी।	स्टोन क्शर के पर्यावरण सलाहकार द्वारा कहा गया कि सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्य को किया जाएगा तथा जिसकी छः महिनों में रिर्पोट देना जरूरी है।
2.	श्री सुभाष ठाकुर, गंव दसोमाजरा, तह0 बददी जिला सोलन हि0प्र0।	क्शर के चलने से माइनिंग से कोई बुरा प्रभाव नहीं पडेगा। गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। अतः क्शर चलना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
3.	श्री तलबिन्द्र सिंह, गांव किशनपुरा, तहसील बददी जिला सोलन हि0 प्र0।	जल्दी से जल्दी क्शर को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा तथा सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
4.	श्री अबदूल गफूर, उप प्रधान गांव किशनपुरा, तह0 बददी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	क्शर को चलाने की अनुमति सरकार जल्दी से जल्दी दे ताकि लोगों के रूके काम हो सके।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.	श्री राकेश कुमार, गांव किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन हि0प्र0।	जल्दी से जल्दी प्रमीशन मिलनी चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
6.	श्री नरेश कुमार, गांव किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन हि0प्र0।	इस क्रशर की माईनिंग मिलनी चाहिए। हमारे गांव में जो रेता, बजरी की जरूरतें हैं इससे पूरी होंगी।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
7.	श्री जय राम ठाकुर, गावं किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन हि0प्र0।	हमें दूर से रेता, बजरी खरीद के लानी पड रही है। इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। ताकि हमें नजदीक से रेता, बजरी मिलेगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन ने पुनः कहा कि खनन क्षेत्र से सम्बन्धित कोई सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो दें। यदि कोई मुददा नहीं उठाया गया तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस माईनिंग को करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है।

जन–सुनवाई के समापन से पूर्व कार्रवाही के सार को अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन (हि.प्र.) द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया। अतः पर्यावरण जन सुनवाई में लोगों द्वारा कोई आपति दर्ज नही करवाई गई है, इस लिये इसे सरकार भेजा जाता है। अन्त में अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त
Additional Deputy Commissioner
Solan Distt. Solan, H.P.

ANNEXURE-I

श्रीयुत शिव ओम स्टोन क्रशर मालिक श्री हरभजन सिंह, गांव किशनपुरा, डाकघर किशनपुरा, तहसील बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा खसरा नं0 2619, 2579. 2204/1 मौजा और मोहाल किशनपुरा तहसील बददी हिमाचल प्रदेश (सरकारी जमीन) और खनन क्षेत्र 500 बीघा 42–14–65 हैक्टेयर में खनन क्षेत्र पर रेत, पत्थर और बज़री के निष्कर्षण/संग्रह **(extraction/collection)** (लघू खनिजों के खनन)/ 225203 टी पी ए के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई दिनांक 06–09–2023 को 11 बजे प्रातः में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं लोगों की उपस्थिति।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी/ग्राम वासी का नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1	Parveen Gupta	AD cum CEE	[signature]
2	Er ABHAY GUPTA AEE, HPSPCB R-Baddi	AEE	[signature] 6-9-23
3	Sanjay Kanwar, Dy Director of Industries, SWCA Baddi	DDI	[signature] 6/9/23
4	Jaspal Chand	Block BMO Health, Nalagarh Education	[signature]
5	PAWAN KUMAR AEE, PCB BADDI	AEE	[signature]
6	Ajay Kumar	Halipul Sandholi	[signature]
7	Daya Ram Ranger Ex Block President Congress Dun	Pardhan Congress Comitty Block Congress Chem	[signature]
8	अब्दुल गफूर	उप प्रधान [illegible]	अब्दुल गफूर
9	Rakesh Kumar vill.	vill. Kishanpura	[signature]
10	प्रीतम सिंह	रायपुर	प्रीतम सिंह
11	Megh Raj	Kishanpura	Megh Raj

12	Jai Ram	Harsi Pur	Jai Ram
13	Naresh Kumar	Kishanpur	[illegible]
14	Tahwinder Singh	Kishanpur	Tahwinder Singh
15	Satpal	Kishanpur	[illegible]
16	Sirjan Singh	Kishanpur	[illegible]
17	Banarsi Dass	Kishanpur	Banarsi Dass
18	Gurcharan Singh	Manpura	[illegible]
19	GURMAIL SINGH	Manpura	[illegible]
20	Kewal Singh	Manpura	केवल सिंह
21	Sanjeev Kumar	[illegible]	Sanjeev Kumar
22	Baljeet Singh	Malpur	Baljeet Singh
23	Chanan Singh	Malpur	Saini
24	Hem Raj	Harija Sathal	[illegible]
25	Raj Kumar	Amn Majra	[illegible]
26	Pankaj Kumar	Baddi	[illegible]
27	Deepak Jangra	Kishanpura	D Jangra
28	Madan Lal	Kishanpur	[illegible]

29	YASHPAL	Baddi	[illegible]
30	Sukh Ram	Kishanpura	SUKH R
31	SUBHASH	[illegible]	[illegible]
32	Surinder Singh	Guramajra	[illegible]
33	Sushil Kumar	Haripur Sandholi	[illegible]
34	Harbhajan	Baddi	[illegible]
35	Hari Singh	Kishan Pura	[illegible]
36	Baldev Singh Negi	Harraipur	BSN [illegible]
37	HAKAM SINGH	Harraipur	[illegible]
38	गुरदेव सिंह	Harraipur	गुरदेव सिंह
39	Shankar Lal	Baddi	Shankar Lal
40	Jagmohan	Baddi	Jagmohan
41	GURDYAL	HARRAIPUR	Gurdyal
42	Gurcharan Singh	Baddi	[illegible]
43	Jasvinder	BADDI	JAS
44	Surinder Kumar	Kishanpura	[illegible]
45	Rakesh Kumar	Kishanpura	[illegible]

46	Rootish[illegible]	Kishan Kesar	[illegible]
47	Jaspal Singh	Chunnag	[illegible]
48	Ajay K Sharma Distt. Fisheries officer	[illegible]	Deptt. of Fisheries (H.P.)
49	Ajmer Singh Disstic -Solan	Baddi	Ajmer Singh
50	Muresh - Distt - Solan	Baddi	[illegible]
51	Kala Distt Solon	Banola	Kala
52	सोम नाथ	चनडी	सोम नाथ
53	गुरचरण सिंह	चुनड़ी	[illegible]
54	Kamal Chand	चुनड़ी	Kamal Chand
55	Suresh Kumar	चुनडी	[illegible]
56	Rajesh Kumar	चुनडी	[illegible]
57	जोगिन्द्र सिंह	चुनड़ी	[illegible]
58	मनोज कुमार	बिलावाल	[illegible]
59	HARPAL SINGH	बिलावाल	[illegible]
60	रामपाल	सिद्धावधुरा	रामपाल
61			
62			